

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दास

बनाम

लिछमणप्रसाद

प्रकरण : वाद

मुकदमा नं. 243 / 2021

हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा दिनांक 23.12.2021 से तलबी में लम्बित चला रहा है। तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये, गत तारीख पेशी 08.04.2025 पर वकील वादी को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर दिया गया, कि प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाकर रसीदे व डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करे अन्यथा प्रकरण सीपीसी प्रावधानुसार खारिज किया जावेगा। परन्तु वकील वादी न तो स्वयं हाजिर हुये ना ही प्रकरण में साबिका आदेश की पालना की है।</p> <p>अतः प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर तथा आज तारीख पेशी पर बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर प्रकरण सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी व तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p>(जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	